

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... विधाधर बनाम ख्यालीराम
किस्म मुकदमा वि. नं. ५२५२ मु. नं. ६ वर्ष २०२१

दिनांक	आज्ञा पत्र
--------	------------



प्रार्थना पत्र बाजदायरी दर्ज रजिस्टर हो। वकील अपीलांट को सुना गया। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में बाजदायरी आवेदन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 71/2018 विधाधर बनाम ख्यालीराम में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2021 को अपास्त किया जाता है एवं अपील को पुन दर्ज कर नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। अपील संख्या 71/2018 में दिनांक 05.07.2018 को पारित स्थगन आगामी तिथि तक यथावत रखा जाता है। मूल अपील पुन दर्ज कर मूल अपील की पत्रावली दिनांक 08.04.2021 को पेश हों बाज दायरी आवेदन स्वीकार कर प्रकरण निस्तारित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

राजवीर सिंह चौधरी
(भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
पदेन सीकर अपील प्राधिकारी,
सीकर